तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्रकरण संख्या – 42A/2022 गोरूराम बनाम मनीराम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
08.01.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान नजीर ''Revenue courts Manual 1956(part 2) rule 136 and 142" की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा दस्तावेज किता 3 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा कथन किया कि विवादित भूमि सरहद मौजा बास नानग स्थित भुमि खसरा न0 299 लगायत 303,391, 391/694, 391/695 कुल रकबा 2.9400 है0 स्थित है। जिसके गत खसरा न0 165/1 लगायत 165/5 तथा 214 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा है। उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 15.07.1989 को प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में डिक्री मुर्तीब नही की गई जिसके फलस्वरूप उक्त निर्णय दिनांक 15.07.1989 की पालना का राजस्व रिकॉड में अंकन नही हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय दिनांक 15.07.1989 की पालना में डिक्री मुर्तीब की जाकर निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व रिकॉर्ड में करवाने हेतु तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेश फरमाया जावे। प्रकरण के संबंध में तथा राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो इस संबंध में तहसीलदार झुन्झुनूं लिखा गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपने पत्र कमांक 2194 डिपसंक 13.07.2022 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बास नानग की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 79 में पतासी पत्नी मनीराम हिस्सा 1/5 एंव ओमशंकर, मुरलीधर, मुरारीलाल पुत्र मनीराम हिस्सा 3/5 तथा सुमित्रा पुत्री मनीराम हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड था जिसमें से नामांतरण संख्या 851 दिनांक 06.09.2021 को जरिए विकय पत्र इस खाते के खसरा नं 300 रकबा 0.58, 391 रकबा 0.77 कुल रकबा 1.35 है0 चंदादेवी पत्नी संतोष कुमार हिस्सा 1/3, देवीदत पुत्र सुदंरलाल हिस्सा 1/3,श्यामलाल पुत्र सुंदरलाल हिस्सा 1/3 जाति जांगिड़ के नाम दर्ज हो गई है। शेष भूमि उक्त मनीराम के वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नं 391 रकबा 0.77, खसरा नं 391/695 रकबा 0.02 है0 में गोरूराम,हनुमान, सुदंरलाल , मनीराम पुत्र रामसुख व मदन, प्यारेलाल, सीताराम पुत्र पितराम, माली पत्नी पितराम जाति जांगिड़ के आवासीय मकान बने हुए है तथा खसरा न0 391/694 रकबा 0.02 है0 में गैरमुमकिन सड़क बनी हुई है। तथा शेष खसरा नं 299,300,301,302,303 कुल किता 5 कुल रकबा 3.48 है0 में उपरोक्त गोरूराम, हनुमान, सुंदरलाल, मनीराम पुत्र रामसुख व मदन, प्यारेलाल पुत्र पितराम व माली	उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पत्नी पितराम की मृत्यु हो जाने के वारिस तथा सीताराम पुत्र पितराम कब्जा काश्त है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी का मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी का अहम तर्क तथा विवाद का बिन्दु यह रहा है कि विवादित आराजी की बाबत पारित किए गए निर्णय दिनांक 15.07.1989 के संबंध में डिक्री को मुर्तीब किया जावे तथा निर्णय व डिक्री की पालना की जावे। अपने तर्कों के समर्थन में प्रार्थी ने नजीर ' ' Revenue Courts Manual 1956 (part 2) rule 136 Drawing up to decrees. The decree or formal order shall be drawn up within three days of the date of judgment and shall beat that date after the decree has been examined: t shall be signed by the Presiding Officer and the date of such signature entered by him immediately beneath the signature" की ओर ध्यान आकर्षित किया। यहॉ विचारणीय तथ्य यह है कि प्रार्थी 15.07.1989 के आदेश की डिक्री हेतु न्यायालय के समक्ष लगभग 34 वर्ष के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने उक्त हुई देरी के संबंध में किसी प्रकार का न ही कोई तर्क तथा न ही कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। तहसीलदार झुन्झुनूं की रिपोर्ट में उक्त भूमि के बेचान का इंतकाल दर्ज होना बताया गया है साथ ही 34 वर्ष पुराने निर्णय की पालना किया जाना वर्तमान में संभव नही है। यदि इतने पुराने निर्णय के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया जाता है जो इससे Multiple of suit"को बढावा मिलेगा तथा वर्तमान खातेदारों, काश्तकारों के हकुक प्रभावित होगें। न्यायालय की दृष्टि में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज न0 से कम हो एवं बाद तरकीब तकमील दाखित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)